न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः दिनेश चन्द, एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड सं०– यू0 पी0 6538

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 383/2026

(C.N.R. UPET010009262026)

सोनू उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र लाखन, निवासी ग्राम हत्सारी, थाना अलीगंज, जिला एटा। हाल निवासी मारहरा दरवाजा रामा कॉलोनी, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा।

––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 सरकार –––––विपक्षी

मु०अ०सं०–210/2025
धारा–305(ए),331(4),317(2) बी0एन0एस0
थाना–अलीगंज, जिला एटा।

06.03.2026

आवेदक/अभियुक्त **सोनू** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– **210/2025** धारा–**305(ए),331(4),317(2) बी0एन0एस0**, थाना–**अलीगंज**, जिला एटा के मामले में जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 25/26.09.2025 की रात्रि में हत्सारी गांव के पास ठेका देशी शराब, जो वादी सत्यवीर गुप्ता की पत्नी रीमा गुप्ता के नाम पर है। उक्त ठेका देशी शराब से किसी अज्ञात चोरों ने ताला खोलकर अन्दर रखे इन्वर्टर–बैटरा, लगभग 1 डेड पेटी देशी शराब व 2000/– रुपये निकाल लिये है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क देते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसे उपरोक्त केस में झूठा व नाराजगी के कारण फँसाया गया है, जबकि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक को दिनांक 26.01.2026 को पुलिस घर से पकड़कर लायी थी और थाने में बैठाये रखने के बाद फर्जी बरामदगी दर्शाते हुए उपरोक्त केस में दिनांक 27.01.2026 को झूठा चालान कर दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्बित है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरुद्ध दर्ज करायी गयी है। उपरोक्त केस में कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है। आवेदक के कब्जे से कोई नाजायज वस्तु उपरोक्त केस से सम्बन्धित बरामद नहीं हुई है, बल्कि झूठी बरामदगी दर्शाकर राजनैतिक लोगों के दबाव में आकर उन्हें झूठा नामित किया गया है। सहअभियुक्तगण

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.03.06 15:30:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

इसके विपरीत जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने वादी के ठेका का ताला तोड़कर इन्वर्टर–बैटरा, 2000/– रुपये व शराब की पेटी चुराने का अपराध किया है। मामला गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

चूंकि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। सभी अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यद्यपि अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का 10 मामलों का आपराधिक इतिहास होना बताया है, जिसके सम्बन्ध में बचाव पक्ष की ओर से कथन किया गया है कि उक्त मामले एक ही दिन में लगाये गये है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त को किसी मामले में दोषसिद्ध होना नहीं बताया गया है। सहअभियुक्तगण प्रवीन उर्फ लुक्का एवं अमजद की जमानत इस न्यायालय से दिनांक 18.02.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 27.01.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना, मेरी राय में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **सोनू** की ओर से अपराध संख्या– **210/2025** धारा– **305(ए),331(4),317(2) बी0 एन 0 एस 0,** थाना–**अलीगंज**, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त को रूपये बीस हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि की एक प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के आधार पर दाखिल किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनॉकः 06.03.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा।
JO Code UP 6538